क्रम संख्या–23 (ख)

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 11 फरवरी, 2016 ई0

माघ 22, 1937 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

कार्मिक अनुभाग–4

संख्या 62 / XXX(4) / 2016–03(8) / 2015

देहरादून, 11 फरवरी, 2016

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प0 आ0–28

राज्यपाल 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा इस विषय मे विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिकमण करते हुए उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वैयक्तिक सहायक एवं निजी सचिव सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वैयक्तिक सहायक एवं निजी सचिव सेवा नियमावली, 2015

भाग 1–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वैयक्तिक सहायक एवं निजी सचिव सेवा नियमावली 2015 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति 2. उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वैयक्तिक सहायक एवं निजी सचिव सेवा एक ऐसी सेवा है जिसमें समूह 'ग' के पद सम्मिलित है।

परिभाषाएं 3. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभिप्रेत है।

(ख) "भारत का नागरिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो "भारत का संविधान" के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता है।

(ग) 'संविधान' से 'भारत का संविधान' अभिप्रेत है।

(घ) सरकार से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है।

(ड) राज्यपाल से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत हैं।

(च) 'आयोग' से उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभिप्रेत है।

(छ) 'सेवा' से उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वैयक्तिक सहायक एवं निजी सचिव सेवा अभिप्रेत है।

(ज) 'सेवा का सदस्य' से इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है।

(झ) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यकारी अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रकिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो।

(ञ) "अन्य पिछड़े वर्गो" से समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (अनुकूलन एवं उपान्तरण, आदेश, 2001) की अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग अभिप्रेत है।

(ट) भर्ती वर्ष से कलेण्डर वर्ष में जुलाई के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग 2–संवर्ग

सेवा का संवर्ग 4. (1) सेवा की सदस्य संख्या तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी में पदों की संख्या उतनी होगी, जो समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाये।

(2) जब तक उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाएं सेवा में पदों की संख्या उतनी होगी जितनी इस नियमावली के परिशिष्ट–'क' में दी गई है, परन्तु उपबन्ध यह है कि:–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी पद को आस्थगित रख सकेंगे कि कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे स्थाई अथवा अस्थाई पद सृजित कर सकते हैं जिन्हें वे उचित समझें।

भाग 3—भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :—

(1) **निजी सचिव**

मौलिक रूप से नियुक्त वैयक्तिक सहायक में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो "आयोग" के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(2) **वैयक्तिक सहायक**

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

आरक्षण

6. सेवा के पदों पर भर्ती हेतु उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के नियमों एवं आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग 4—अर्हतायें

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, हो जो भारत में स्थायी रूप से बसनें के आशय से 01 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीका देश केनिया, यूगांडा यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो,

परन्तु यह कि उक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा प्रमाण—पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण—पत्र प्राप्त कर लें।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण—पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी:— ऐसे अभ्यर्थी को जिनके मामलें में पात्रता का प्रमाण—पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और से इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय ।

शैक्षिक अर्हता

8. वैयक्तिक सहायक के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हतायें होनी आवश्यक हैं :–

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता होनी आवश्यक है तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था/विश्वविद्यालय से 01 वर्षीय कम्प्यूटर पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र।

अथवा

कम्प्यूटर विज्ञान विषय के साथ स्नातक उपाधि

(दो) हिन्दी आशुलेखन में न्यूनतम अस्सी शब्द प्रति मिनट और कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 8000 की डिप्रेशन (Key-Depression) प्रति घण्टा की गति होना आवश्यक है।

(तीन) अंग्रेजी आशुलेखन में न्यूनतम 100 शब्द प्रति मिनट और कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 9000 की डिप्रेशन (Key-Depression) प्रति घण्टा की गति होनी आवश्यक है, के मानक को पूरा करने वाले अभ्यर्थी ही द्विभाषी भत्ता पाने के हकदार होंगे।

स्पष्टीकरण :– **अंग्रेजी आशुलेखन परीक्षा की प्रकृति अभ्यर्थियों के लिए वैकल्पिक होगी, किन्तु अंग्रेजी आशुलेखन की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा।**

अधिमानी अर्हता

9. अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने :–

(1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" एवं "सी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

अनिवार्य/वांछनीय अर्हताएं

10.**(एक)** सीधी भर्ती हेतु भी वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होगा।

(दो) सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु अभ्यर्थी के लिये उत्तराखण्ड राज्य की परम्पराओं एवं रीतियों का ज्ञान तथा प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट परिस्थितियों में नियुक्ति के लिये उपयुक्त होना वांछनीय होगा।

आयु

11. वैयक्तिक सहायक के पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी हेतु, उस कलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियॉ विज्ञापित की जायं, पहली जुलाई को कम से कम 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष होगी।

परन्तु उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी कि विहित की जाय।

चरित्र

12. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी:— संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या सघं सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्ध दोष व्यक्ति भी नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगें।

वैवाहिक प्रास्थिति

13. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु यदि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवृतन से मुक्त कर सकेगी।

शारीरिक योग्यता

14. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक व शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पडने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2, (भाग–2 से 4) के अध्याय भाग–3 में दिये गये मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें:

परन्तु पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये जाने वाले अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग 5–भर्ती की प्रकिया

रिक्तियों का अवधारण

15. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा।

सीधी भर्ती की प्रकिया

16. (1) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आवेदन–पत्र का प्रारूप, ऐसे न्यूनतम दो दैनिक समाचार पत्रों जिनका व्यापक परिचालन हो, में प्रकाशित किया जायेगा।

(2) चयन के लिए 100 अंको की एक लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन सम्मिलित होगें।

(3) आशुलिपि और कम्प्यूटर टंकण में 50 अंकों की एक क्वालिफाइंग (Qualifying) प्रयोगात्मक परीक्षा होगी। प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु निर्धारित न्यूनतम गति प्राप्त कर लेने पर अभ्यर्थियों को 50 अंक दिये जायेंगे। न्यूनतम निर्धारित गति से अधिक गति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को पृथक से कोई अंक नहीं दिये जायेंगे।

(4) लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवीणता सूची (अंतिम चयन सूची) तैयार की जायेगी।

(5) यदि आशुलिपि और कम्प्यूटर टंकण की परीक्षा में रिक्तियों की संख्या से कम अभ्यर्थी सफल होते हैं तो जितने अभ्यर्थी सफल हुए उनकी नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी। शेष रिक्तियों के लिए पुनः 1 : 4 के अनुपात में लिखित परीक्षा व अन्य मूल्याकनों के आधार पर सारणीबद्ध किये गये अभ्यर्थियों की सूची में से अभ्यर्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षा कराई जायेगी और उसमें सफल अभ्यर्थियों का नियमानुसार चयन किया जायेगा। यह क्रम तब तक चलता रहेगा, जबतक न्यूनतम गति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी निर्धारित संख्या में प्राप्त न हो जाय।

(6) प्रवीणता सूची (अंतिम चयन सूची) तैयार करते समय यदि दो या अधिक अभ्यर्थी प्राप्ताकों के योग में बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को प्रवीणता सूची में ऊपर रखा जायेगा।

भाग 6–नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

17. नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर जिसमें वे यथास्थिति नियम 16 के अधीन बनायी गयी सूची में हो, नियुक्त करेगा।

परिवीक्षा

18. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणो से जो अभिलिखित किये जायेगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है। जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाएगा जब तक अवधि बढायी जाय।

परन्तु अपवादिक परिस्थितियों कें सिवाय परिवीक्षा अवधि छः मास से अधिक और किसी भी परिस्थिति में एक वर्ष से अधिक नहीं बढाई जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढाई गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकारी न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप नियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ जोड़े जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण

19. (1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की नियुक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में स्थायी कर दिया जायेगा यदि:–

(क) उसने प्रशिक्षण, यदि कोई विहित हो, सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो।

(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय, और

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाए।

(2) जहाँ उत्तरांचल राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002 (समय–समय पर यथासंशोधित) के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है, वहाँ इस नियमावली के नियम–5 के उप नियम–(3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता

20. मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथा संशोधित उत्तरांचल सरकारी सेवक (ज्येष्ठता निर्धारण) नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग 7–वेतन आदि

वेतनमान

21. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय लागू वेतनमान इस नियमावली के परिशिष्ट 'क' में दिये गये है।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

22. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि पूर्व से स्थायी सरकारी सेवा में नहीं है, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, और जहाँ विहित हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यता लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग 8—अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

23. किसी पद पर सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्ही सिफारिशों पर, चाहे लिखित हों या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

24. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमों विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर समान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होगे।

सेवा की शर्तो में शिथिलता

25. जहॉ राज्य सरकार को यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामलें में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति

26. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पडेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनूसचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट 'क'

(नियम 4 का उप नियम (2) एवं नियम 21 का उप नियम (2) देखिये)

पदनाम	पदों की संख्या	वेतन		
		वेतन बैंड	वेतनमान	ग्रेड वेतन
निजी सचिव	04	PB-2	9300—34800	4800
वैयक्तिक सहायक	06	PB-2	9300—34800	4200

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 03 कार्मिक/99—2016—100+50 (कम्प्यूटर/रीजियो)।